

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020-फाल्गुन 9, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्रादय बोर्ड ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) शाहदरा दिल्ली-32, से उत्तीर्ण 10वीं 12वीं परीक्षाओं के समस्त विद्यार्थीयों को शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालयों/विभागों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश/रोजगार हेतु पात्रता.

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल 462004 द्वारा जारी आदेश संख्या 14/आउशि/भा.5 अ/20 दिनांक 10-01-2020 आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमेदिन के निर्देशानुसार समस्त विश्वविद्यालयों को जारी आदेश संदर्भित ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) पत्र संख्या 025/Board/REQ/REP/GMVSS/20, Dated 06/01/2020 उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा मान्यता प्रादय बोर्ड ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) शाहदरा दिल्ली-32 से उत्तीर्ण 10वीं 12वीं परीक्षाओं के समस्त विद्यार्थीयों को शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालयों/विभागों में उच्च शिक्षा व रोजगार हेतु पात्र मान्य है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत कोई भी बोर्ड जो लोक सभा/विधान सभा/कार्यकारी आदेश (अधिसूचना) पारित है वो मान्य है। अवगत कराना है कि ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के मानकों के अनुसार कई राज्यों द्वारा अधिसूचित है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा, परीक्षा योजना व मूल्यांकन पद्धति राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) जो कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) के समकक्ष है के द्वारा समरूप/समकक्ष मान्य है।

ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) की स्थापना parliament societies registration act 1860 (21 of 1860) vide the reg. No. 1257/2015, dated 23 April, 2015 के अंतर्गत विधि द्वारा की गई है जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) दिल्ली को सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी मुक्त तथा दूरस्थ ऐक्षणिक पद्धति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसी के साथ सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम को नए रूप में मुक्त शिक्षा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाती, महिलाएं तथा जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनकों सक्षम एक साधन बनाना तथा शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा की ओर प्रगति में तेजी लाने हेतु ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान दिल्ली में पब्लिक/प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल स्थापित किया है। इसी के साथ कौशल विकास/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी परिचय कराया है।

संस्था द्वारा भारतवर्ष के बहुत से अन्य राज्यों में तथा अन्य देशों में भी ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा विद्यार्थीयों का प्रवेश उनकी पढ़ाई मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित की जा रही है।

मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा में कक्षा दसवीं हाई स्कूल सेर्टीफिकेट में विद्यार्थी का 1 अगस्त को 14 वर्ष का होना अनिवार्य है।

मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा में कक्षा बाहरवी हायर सेकेण्डरी स्कूल सेर्टीफिकेट में विद्यार्थी का 1 अगस्त को 16 वर्ष का होना अनिवार्य है। ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) दिल्ली द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में तथा भारत वर्ष के बाहर भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा संस्था द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा हेतु काउंसलिंग सेंटर, इनफोमेंशन सेन्टर एवं परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) दिल्ली एक स्वतंत्र एवं स्वावलंबी इकाई के रूप में बहुत से राज्यों में स्थापित है। संस्था द्वारा NCERT/SCERT/CBSE दिल्ली के पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शन का पालन करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है तथा कक्षा 9वीं व 11वीं का संचालन वर्ष 2020 के आगामी सत्र में प्रारम्भ कर रहा है।

अजय साहू,
निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल।

(1137-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल खलील (ABDUL KHALIL) पिता अब्दुल लुखमान (ABDUL LOOKMAN), ग्राम पोस्ट-आरम्भा, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश 481335, मेरे पुत्र का बल सदस्य नं. 120519424, पद-आरक्षक/जीडी, आसिफ कान (AASIF KAN) (CISF) केन्द्रीय आद्यौगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम, त्रुटिवश खलील कान (KHALIL KAN) अंकित है। जबकि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंकसूची, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, समग्र आईडी में अब्दुल खलील (ABDUL KHALIL) हैं। जो सही और सत्य है।

अतः भविष्य में मुझे अब्दुल खलील (ABDUL KHALIL) के नाम से जाने व मेरे पुत्र आसिफ कान (AASIF KAN) के CISF सर्विस रिकार्ड में सुधार किया जावे।

पुराना नाम :

(KHALIL KAN)

S/o Abdul Lookman.

नया नाम :

(ABDUL KHALIL)

S/o Abdul Lookman,
R/o Ward No. 04, Gram Arambha,
Post-Arambha, Th. Khairlanji,
Dist.-Balaghat M.P. 481335.

(1138-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश साहू (DINESH SAHU) पुत्र श्री रमेशचन्द्र साहू सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम विनेस कुमार साहू (VINESH KUMAR SAHU) पुत्र श्री रमेशचन्द्र साहू था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 202325162 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं, दिनेश साहू (DINESH SAHU) पुत्र श्री रमेशचन्द्र साहू के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और मेरे सभी दस्तावेजों जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, बैंक की पासबुक इत्यादि में लिखा गया है। अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202325162 एवं अन्य प्रपत्रों में नाम विनेस कुमार साहू (VINESH KUMAR SAHU) लिखा गया है जो कि गलत है।

अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202325162 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विनेस कुमार साहू (VINESH KUMAR SAHU) के स्थान पर दिनेश साहू (DINESH SAHU) लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(विनेस कुमार साहू)

नया नाम :

(दिनेश साहू)

पता-म. क्र. 188, बुजुर्ग रोड,
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(1139-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम गुनगुन शर्मा जो कि अस्पताल में जन्म के समय से चला आ रहा है, उक्त नाम को परिवर्तित कर जान्वी शर्मा पुत्री श्री देवेन्द्र शर्मा माता श्रीमती कविता शर्मा जन्म दिनांक 22-07-2005 ही जाना जाये। अतः आज दिनांक 25-01-2020 से मेरी पुत्री का नाम गुनगुन के स्थान पर जान्वी शर्मा (JANVI SHARMA) पुत्री देवेन्द्र शर्मा ही रहेगा एवं मेरे तथा पुत्री के सभी दस्तावेजों में यह नाम से जाना व पढ़ा जायें।

देवेन्द्र शर्मा,
पुत्र-श्री उमाशंकर शर्मा,
निवासी-सी, 592 आनन्द नगर,
बहोड़ापुर, ग्वालियर 474012 (म.प्र.).

(1140-बी.)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शरद देशमुख वल्द चतरूलाल देशमुख, निवासी वार्ड नं.1, बूढ़ी आई.टी.आई. के पास बालाघाट का निवासी हूँ, मैंने पुत्र का नाम मोक्ष देशमुख वल्द शरद देशमुख था. अब मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में मोहित देशमुख वल्द शरद देशमुख लिखाना चाहते हैं तथा भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

शरद देशमुख,
वार्ड नं. 1 आई.टी.आई. बूढ़ी,
बालाघाट (म.प्र.).

(1141-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, थॉमस मैथयू (THOMAS MATHEW) पुत्र श्री मैथयू सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम एम. थॉमस (M. THOMAS) पुत्र श्री मैथयू था. जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राइविंग लायरेंस इत्यादि में लिखा गया है जबकि मेरी पुत्री क्रुपा पी. थॉमस (KRUPA P. THOMAS) के सी.बी.एस.ई. के 10वीं एवं 12वीं के प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम एम. थॉमस (M. THOMAS) लिखा गया है जो कि गलत है. वर्तमान में थॉमस मैथयू (THOMAS MATHEW) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और हस्ताक्षर भी इसी नाम से करता हूँ.

अतः मेरी पुत्री के 10वीं एवं 12वीं के सट्रीफिकेट प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम (M. THOMAS) के स्थान पर सही नाम थॉमस मैथयू (THOMAS MATHEW) लिखा एवं पढ़ा जाये, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(एम. थॉमस)

नया नाम :

(थॉमस मैथयू)

पता-फ्लैट नं. 201, माधुरी रेजीडेंसी,
सी. पी. कॉलोनी, मुरार, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(1142-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शादी से पूर्व रामकली नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मेरी शादी मनीष कुमार, निवासी सी-91, गोविन्दपुरी, ग्वालियर से हो जाने के बाद मेरा नाम श्रीमती रमा आर्य हो गया है. मुझे मेरे सभी परिचित व रिश्तेदार श्रीमती रमा आर्य के नाम से ही जानते व पहचानते हैं. अतः अब भविष्य में भी मुझे मेरे इस नाम श्रीमती रमा आर्य के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रामकली)

नया नाम :

(रमा आर्य)

(1143-बी.)

सी-19, गोविन्दपुरी,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, राबिया राईन पत्नी सईद राईन, निवासी वार्ड नं. 16 नयापुरा काजी तनवीर गली, भिण्ड (म.प्र.) यह कि मुझ प्रार्थिनी के पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग राबिया राईन (RAVIYA RAEEN) अंकित है. जबकि अब मैंने अपने नाम की सही स्पेलिंग राबिया राईन (RAVIYA RAYEEN) रख ली है, अतः अब मुझे भविष्य में सही स्पेलिंग राबिया राईन (RAVIYA RAYEEN) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(राबिया राईन)

(RAVIYA RAEEN)

पत्नी-सईद राईन.

(1144-बी.)

नया नाम :

(राबिया राईन)

(RAVIYA RAYEEN)

पत्नी-सईद राईन.

CHANGE OF NAME

I inform Hari Ballabh Maheshwari general that my former name was Hari Ballabh Bisani which is written in all my academic, governmental, semi-official forms and in the present. I have been known and known by the name of Hari Ballabh Maheshwari and also in the future. I will go by the name of Hari Ballabh Maheshwari in the same name, recognize and will be called and I will be signing, Hari Ballabh Bisani

and Hari Ballabh Maheshwari is the name of the same person. Therefore in all my academic, governmental, semi-official form, my name should be named Hari Ballabh Maheshwari in place of Hari Ballabh Bisani. Be informed about the general and the masses.

Old Name :

(HARI BALLABH BISANI)

(1145-B.)

New Name :

(HARI BALLABH MAHESHWARI)

J-17, Chetak Puri, Gwalior.

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम मोहम्मद सईद राईन बल्द मोहम्मद खान, निवासी वार्ड नं. 16 नयापुरा काजी तनबीर गली, भिण्ड था. अब मेरा नाम सईद राईन (SAEED RAYEEN) बल्द मोहम्मद खान (MOHAMMAD KHAN) पढ़ा जावें तथा इस नाम से जाना व पहचाना जावें।

पुराना नाम :

(मोहम्मद सईद राईन)

पुत्र-मोहम्मद खान.

नया नाम :

(सईद राईन)

पुत्र-मोहम्मद खान,

वार्ड नं. 16, नयापुरा काजी तनबीर गली,
भिण्ड (म.प्र.).

(1146-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मोहद. फजल मंसूरी पुत्र श्री मोहद. बलदार मंसूरी था. अब मैंने अपना नाम बदलकर डेविड फजल हो गया है. अतः अब मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम डेविड फजल पढ़ा एवं समझा जावें।

पुराना नाम :

(मोहद. फजल मंसूरी)

(1147-बी.)

नया नाम :

(डेविड फजल)

पता-वार्ड नं. 1, बस स्टैण्ड,
ग्राम हैदरगढ़, जिला विदिशा.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम में एक पॉलिसी क्रमांक 200261637 कराई गई थी. जिसमें मेरा घरेलू नाम करिश्मा गुप्ता अंकित हो गया है, जबकि मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम नेहा गुप्ता अंकित है. करिश्मा गुप्ता एवं नेहा गुप्ता यह दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मुझे नेहा गुप्ता पुत्री श्री राधामोहन गुप्ता के नाम से ही जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(करिश्मा गुप्ता)

पुत्री-श्री राधामोहन गुप्ता.

(1148-बी.)

नया नाम :

(नेहा गुप्ता)

पुत्री-श्री राधामोहन गुप्ता,
निवासी-9-बी, आदित्यपुरम ग्रीनवुड विद्यालय,
भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्रीमती नफीसा बेगम पति श्री लतीफ खान है, जो कि अंकसूची, आधारकार्ड, सहित मेरे ज्यादातर सभी दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम नप्रता ग्रावकर लिखा गया है, जिससे मुझे कई परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है, अतः मेरे सर्विस रिकॉर्ड में भी मेरा नाम श्रीमती नफीसा बेगम ही लिखा व पढ़ा जावे. सर्विस रिकॉर्ड के अलावा नप्रता ग्रावकर नाम अन्य कहीं भी प्रचलन में नहीं है।

पुराना नाम :

(नफीसा बेगम उर्फ नप्रता ग्रावकर)

(1149-बी.)

नया नाम :

(नफीसा बेगम)

म. नं. 2398/3, नागपुर रोड, बेदी नगर,
रानी दुर्गावती वार्ड, पुरवा,
जबलपुर म.प्र. 482003.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कंचन कुमार साकेत पिता श्री रमाशंकर साकेत, जन्म दिनांक 17 मार्च, 1989, ग्राम इकुरी 37, पोस्ट दुबगवां, थाना/तहसील मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.) का पुश्तैनी निवासी हूँ, मुझे लोग वर्तमान में रूद्र प्रताप सिंह चौहान (आर.पी. सिंह चौहान) नाम से जानते हैं, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम कंचन कुमार साकेत ही है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं भविष्य में हर क्षेत्र में रूद्र प्रताप सिंह चौहान (आर. पी. सिंह चौहान) नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊ एवं मेरे समस्त वर्तमान दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक, बोटर आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस, आर. सी. जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड इत्यादि में नाम रूद्र प्रताप सिंह चौहान किया जाए.

पुराना नाम :

(कंचन कुमार साकेत)
(1150-बी.)

नया नाम :

(रूद्र प्रताप सिंह चौहान/
आर. पी. सिंह चौहान).

संबंध-विच्छेद सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अरविन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासी पारखजी का बाड़ा, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर ने अपने पूर्ण होशो-हवास में अपने पुत्र राहुल शर्मा के आचरण को देखते हुए उसे अपने परिवार एवं सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अब राहुल शर्मा का मेरे पक्षकार अरविन्द शर्मा एवं उनके परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध अथवा लेना-देना नहीं है। राहुल शर्मा अपने द्वारा किये गये अपने कार्य के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे। भविष्य में राहुल शर्मा का मेरे पक्षकार अरविन्द शर्मा के पुत्र होने के नाते किसी भी प्रकार का संव्यवहार एवं लेन-देन न किया जाय अन्यथा वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः सर्व-साधारण सूचित हों।

(1151-बी.)

अरविन्द शर्मा,

द्वारा-प्रदीप श्रीवास्तव,

(एडवोकेट)

नया सराफा, दानाओली, लश्कर,

ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

Yash Meratia S/o Anurag Meratia, Aged 19 Years, R/o 3/B Professors Colony, Matra Chaya, Bhopal (M.P.) do hereby solemnly affirm and declare on oath as under, 1. that my name has been recorded as Yash Meratia in all the educational Certificate and in other relevant document, 2. That now I wish to change my name as Yashvardhan meratia in placed of my previous name i.e. Yash Meratia, 3. That from today I shall be known by name i.e. Yashvardhan Meratia for all purpose. 4. That my Statement is true and correct. That I have changed my name by my free will.

Old Name :

(YASH MERATIA)

New Name :

(YASHVARDHAN MERATIA)

S/o Anurag Meratia.

(1152-B.)

CHANGE OF NAME

I, No.120519424 Costable/GD, Aasif Kan S/o Abdul Khalil, Unit CISF, Unit (CGBS) Central Government Building Security Mahipalpur New Delhi, In my Service Records My Name Recorded As Aasif Kan S/o Abdul Khalil but Popularly Known as Abdul Aasif Sheikh S/o Abdul Khalil, So Aasif Kan S/o Abdul Khalil and Abdul Aasif Sheikh S/o Abdul Khalil one and the same person. In all where, There is Aasif Kan S/o Abdul Khalil is mentioned it will be read and known as Abdul Aasif Sheikh S/o Abdul Khalil.

Old Name :

(AASIF KAN)
S/o Abdul Khalil.

New Name :

(ABDUL AASIF SHEIKH)

S/o Abdul Khalil

R/o Ward No. 04, Gram-Arambha,
Post-Arambha, Th. Khairlanji,
Dist. Balaghat M.P. 481335.

(1153-B.)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा नाम श्रीमती ललिता सिरोया पति श्री रमेशचंद्र सिरोया (पुत्री श्री रामचंद्र खण्डेलवाल) होकर मेरा घर का नाम ललिता खण्डेलवाल/लता सिरोया भी रहा है। मेरा विवाह के पश्चात् मेरा उप नाम ललिता खण्डेलवाल से श्रीमती ललिता सिरोया हो गया है। मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ललिता सिरोया ही दर्ज है एवं मेरा वास्तविक नाम भी ललिता सिरोया है। यह कि श्रीमती ललिता सिरोया एवं श्रीमती लता सिरोया/श्रीमती लता खण्डेलवाल ये मेरे ही नाम हैं। मुझे भविष्य में लता सिरोया/लता खण्डेलवाल के स्थान पर मेरे वास्तविक नाम श्रीमती ललिता सिरोया पति श्री रमेशचंद्र सिरोया के नाम से ही पहचाना जावे एवं समस्त दस्तावेजों में उसी अनुसार पढ़ा जावें।

पुराना नाम :

(लता सिरोया/लता खण्डेलवाल/ललिता खण्डेलवाल)

(1154-बी.)

नया नाम :

(ललिता सिरोया)

पता-123, बी. एच. स्कीम नं. 54 इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम अजय कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गोयल हाल, निवास तकिया वाली गली, खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं यूटीआई म्यूचियल फण्ड में दर्ज है। वर्तमान में मैंने अपना नाम बदलकर अजय गोयल रख लिया है और इसी नाम से मेरे समस्त दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता एवं अन्य सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे जहां पर भी अजय कुमार गोयल लेख है। उसके स्थान पर अजय गोयल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गोयल के नाम से पढ़ा-लिखा, समझा व जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(अजय कुमार गोयल)

पुत्र-श्री गोविन्द प्रसाद गोयल.

(1155-बी.)

नया नाम :

(अजय गोयल)

पुत्र-श्री गोविन्द प्रसाद गोयल.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रितेश वर्मा (Ritesh Verma) उम्र 39 वर्ष, पिता महेश वर्मा मेरे 10वाँ एवं 12वाँ की अंकसूची एवं समस्त सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम रितेश वर्मा (Ritesh Verma) लिखा हुआ है जो कि अधूरा एवं गलत है। मेरा सही व पूरा नाम रितेश सिंह (Ritesh Singh) है जो सही है। अतः मुझे सही नाम रितेश सिंह से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(रितेश वर्मा)

(RITESH VERMA)

नया नाम :

(रितेश सिंह)

(RITESH SINGH)

प्लॉट नं. 65, कृष्णा सिटी, करमेता,
कटांगी बायपास रोड, जबलपुर (म.प्र.).

(1156-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रघुनंदन अग्रवाल पुत्र श्री जगन्नाथ अग्रवाल, निवास 19, मित्तल परिवास, तबा मिया महल के पास, कोतवाली रोड, भोपाल है। मुझे रघुनंदन मित्तल पुत्र श्री जगन्नाथ मित्तल के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। अतः मुझे रघुनंदन अग्रवाल पुत्र श्री जगन्नाथ अग्रवाल और रघुनंदन मित्तल पुत्र श्री जगन्नाथ मित्तल दोनों नाम से जाना और पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(रघुनंदन अग्रवाल)

(1167-बी.)

नया नाम :

(रघुनंदन मित्तल)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसर्स पुरी आटो एण्ड व्हील्स पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) जो कि भागीदारी फर्म है। जिसका फर्म पंजीयन क्र. 664 है। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए दिनांक 01-04-1999 को संशोधित भगिता विलेख के द्वारा फर्म के भागीदार श्री गिरीश पुरी दिनांक 01-04-1999 की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उक्त भागीदारी विलेख में दिनांक 01-04-2002

को पुनः परिवर्तन करते हुए फर्म के भागीदार श्रीमती रामप्यारी पुरी, श्री सम्मी पुरी, श्री आशीष पुरी, दिनांक 01-04-2002 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं नये भागीदार के रूप में भागीदार श्रीमती सविता पुरी, श्रीमती सोनाली पुरी, श्रीमती इंशा पुरी दिनांक 01-04-2002 से फर्म में शामिल हो गये हैं एवं उक्त भागीदारी विलेख में दिनांक 01-04-2017 को पुनः परिवर्तन करते हुए फर्म के भागीदार श्रीमती सविता पुरी, श्रीमती सोनाली पुरी दिनांक 01-04-2017 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उक्त भागीदारी विलेख में दिनांक 01-04-2019 को पुनः परिवर्तन करते हुए फर्म के भागीदार श्री चरनजीत सिंह पुरी एवं श्रीमती रीता पुरी दिनांक 01-04-2019 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं नये भागीदार श्री आशीष पुरी दिनांक 01-04-2019 से फर्म में शामिल हो गये हैं।

अतः जिस किसी को फर्म अथवा सेवानिवृत्त भागीदार से संबंधित आपत्ति हो वो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अंदर सूचित करें।

For-Puri Auto And Wheels,
इंशा पुरी,
(भागीदार).
सतना (म.प्र.).

(1157-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स महामाया ग्रुप कंस्ट्रक्शन, पूर्व पता किरार कॉलोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश जोकि पता परिवर्तन कर बी-304, सनबैली, न्यू कलैक्ट्रेट के पास, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00046/09, दिनांक 15-07-2009 है। जिसमें दिनांक 13-05-2019 को अपनी साझेदारी फर्म में साझेदार एवं स्थान में परिवर्तन कर साझेदारी फर्म से पक्षकार क्रमांक 4 श्रीमति कमला सिंह पत्नि श्री जवाहर सिंह, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर जोकि स्वेच्छा से पृथक् हो गई है। फर्म से पृथक् हुए साझेदार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं।

मैसर्स महामाया ग्रुप कंस्ट्रक्शन,
त्रिलोक सिंह,
(पार्टनर).

(1158-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म वीनस माईनिंग एण्ड मिनरल स्थित 08, होटल पी.एस. कम्पाउण्ड, वायपास रोड, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/0188/19, दिनांक 09-10-2019 है। जिसमें दिनांक 21-11-2019 को भागीदार (1) श्री गोपाल गोयल पुत्र श्री शिवनारायण गोयल निवासी- कृष्णगंज, करैरा, शिवपुरी, (2) श्री रवि कुमार गोयल पुत्र श्री शिवनारायण गोयल कृष्णगंज, करैरा, शिवपुरी, (3) मै. सिंह ड्रिंग्स एसोसिएट्स ऑफिस- सेन्ट्रल पार्क होटल के सामने सिटी सेंटर ग्वालियर द्वारा प्रोपराइटर श्री अनुराग सिंह परमार अपनी स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित होंगे।

फर्म-वीनस माईनिंग एण्ड मिनरल,
गोपाल गोयल,
पुत्र-श्री शिवनारायण गोयल,
(भागीदार)
पता-कृष्णगंज, करैरा, शिवपुरी (म.प्र.).

(1159-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the firm M/s SETH GIRIJACHARAN HARNARAYAN JAISWAL Registered Office at 14, White Church Colony, Residency Area Indore (M.P.) which was constituted vide partnership deed executed on 16th February 2016 and the initial partners were 1. Smt. Gayatri Devi Jaiswal W/o Late Shri Kamal Kumar Jaiswal, 2. Shri Rahul Jaiswal S/o Shri Kamal Kumar Jaiswal, 3. Smt. Namrata Jaiswal W/o Rahul Jaiswal, 4. Ravindra Singh S/o Late Shri Abhinandan Singh, 5. Sanjay Jaiswal S/o Shri Bechan Prasad Jaiswal, 6. Shri Vinay Singh S/o Late Shri Bhagwati Singh and 7. Shri Sunil Singh Rajput S/o Late Shri Ramnaresh Singh Rajput.

In this firm subsequently following changes have occurred on 1st April 2019, Smt. Namrata Jaiswal W/o Shri Rahul Jaiswal voluntarily retired from the firm w.e.f. 1st April 2019.

Now, present partners of the firms w.e.f. 1st April 2019 are 1. Smt. Gayatri Devi Jaiswal W/o Late Shri Kamal Kumar Jaiswal, 2. Shri Rahul Jaiswal S/o Shri Kamal Kumar Jaiswal,

3. Ravindra Singh S/o Late Shri Abhinandan Singh, 4. Sanjay Jaiswal S/o Shri Bechan Prasad Jaiswal,
5. Shri Vinay Singh S/o Late Shri Bhagwati Singh and 6. Shri Sunil Singh Rajput S/o Late Shri Ramnaresh
Singh Rajput.

FOR-M/s Seth Girijacharan Harnarayan Jaiswal ,
RAHUL JAISWAL,
(Partner).

(1160-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री बनखण्डेश्वर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कार्यालय पता-1/23, नई आबादी भिण्ड मध्यप्रदेश पंजीयन क्र.35/2003/ दिनांक 20-11-2003 जिसमें दिनांक 21-05-2019 को भागीदार नरेश सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह ग्राम व तहसील रोन, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश की मृत्यु हो जाने के कारण एवं श्री उदयवीर सिंह भदौरिया पुत्र श्री सरनाम सिंह भदौरिया, निवासी-1/23, नई आबादी भिण्ड मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 21-05-2019 को रचना तोमर पुत्री श्री रनवीर सिंह तोमर, निवासी- होला पुरा, रतनबसई, मैसर्स मध्यप्रदेश नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स श्री बनखण्डेश्वर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
राजेन्द्र सिंह भदौरिया,
(भागीदार)
भिण्ड (म.प्र.).

(1161-बी.)

NOTICE

Notice is hereby given that the firm "M/S MAXCURE LIFE SCIENCES" of Gwalior vide Reg. no. 02/42/01/0008/19, Year 2019-20, Date of Registration-08/01/2018, has undergone the changes in its constitution of firm.

Shri Mr. Rajeev Kumar Sharma S/o Shri Santosh Kumar Sharma aged 32 years residence 165/B Ward No-18, Phase-2, P-Block, Shatabdipuram, Gwalior has been Retired as a partner of aforesaid firm w.e.f. 26.12.2019 So, Now total two partner will continue the business named 1. Rajeev Kumar Yadav 2.Pavan Gupta, with equally profit and loss sharing ratio and also decided to change the registered office from 165/B, Ward No.18, Phase-2, P-Block Shatabdipuram,Gwalior-474020 to C/o Rajeev Kumar Yadav, S/o Shri Buddh Singh Yadav , Shivaji Nagar, Kumharpura, Thatipur, Gwalior-474011.

M/s MAXCURE LIFESCIENCES ,
RAJEEV KUMAR YADAV,
(Partner).

165/B, Ward No.18, Phase-2,

(1162-B.)

P-Block Shatabdipuram,Gwalior-474020

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मैसर्स बालाजी बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स एक साझेदारी फर्म है जिसका रजिस्ट्रार में पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00587/2013 है। इस फर्म में 1. श्री महेन्द्र दुबे आत्मज श्री आर. के. दुबे, 2. विनोद कुमार लवानिया आत्मज श्री सुरेश चन्द्र लवानिया जी-50-50 प्रतिशत के साझेदार हैं। फर्म के साझेदारों में से श्री महेन्द्र दुबे आत्मज श्री आर.के. दुबे ने अपने भाग का 50 प्रतिशत (अर्थात् फर्म का 25 प्रतिशत) अंश विनोद कुमार लवानिया आत्मज श्री सुरेश चन्द्र लवानिया एवं अपने भाग का 50 प्रतिशत (अर्थात् फर्म का 25 प्रतिशत) अंश श्रीमती श्रद्धा चन्सोरिया पुत्री श्री मान नारायण मिश्रा के पक्ष में कर, फर्म से त्याग-पत्र दे दिया है तथा उनके स्थान पर फर्म में श्रीमती श्रद्धा चन्सोरिया पुत्री श्रीमान नारायण मिश्रा फर्म में नवीन साझेदार के रूप में जुड़ गई है। इस हेतु आवश्यक संशोधित साझेदारी विलेख का निष्पादन भी सभी पक्षों द्वारा किया गया। नवीन स्थिति में अब इस फर्म में 1. विनोद कुमार लवानिया का 75 प्रतिशत अंश एवं 2. श्रीमती श्रद्धा चन्सोरिया का 25 प्रतिशत अंश के फर्म में साझेदार हैं। इस संशोधित साझेदारी विलेख के आधार पर अब नवीन साझेदार अपना नाम पंजीयन कार्यालय में एवं अन्य दस्तावेजों में संशोधित करवा रहे हैं। अतः उक्त संशोधन साझेदारी विलेख के संबंध में यदि किसी व्यक्ति संस्था, बैंक या अन्य कार्यालय को आपत्ति हो, तो वह 07 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजों के साथ मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य या स्वीकार नहीं होगी एवं मेरे पक्षकार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होंगे।

बारिज कुमार गुप्ता,
(अधिवक्ता)

पता-लायर्स चैम्बर बंशीलाल ईसरानी
चैम्बर क्रमांक-421, जिला न्यायालय के पीछे,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.).

(1163-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन, डी-524, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर में साझेदारी व्यवसाय चल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/39/01/00092/14, दिनांक 17-07-2014 है. जिसमे आज दिनांक 27-01-2020 से साझेदारी फर्म में साझेदारों की सहमति से संशोधन कर फर्म से श्री अमित सक्सेना पुत्र श्री विश्वेश्वर दयाल सक्सेना, निवासी-137, रायसेन रोड, आनंद नगर, हुजूर भोपाल जो कि अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं तथा उनके स्थान पर नवीन साझेदार श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री कैलाश नारायण शर्मा आयु 44 वर्ष, निवासी- डी-524, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर तथा श्री योगेश उपाध्याय पुत्र श्री संदीप उपाध्याय आयु 26 वर्ष, निवासी- एस. एल. पी. कॉलेज के पास, सूरी नगर, मुगर, ग्वालियर के रूप में शामिल हो गये हैं. फर्म से पृथक हुए साझेदार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं.

मैसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन,
नीरज शर्मा,
(भागीदार).

(1164-बी.)

आम सूचना का खंडन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है की मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 5 भाग 3 (1), विज्ञापन, अन्य सूचनायें में क्रम संख्या 1041-बी में दिनांक 31 जनवरी, 2020, शुक्रवार को भोपाल से प्रकाशित राजपत्र में अपूर्व भिते द्वारा मैसर्स जे एंड ए इको फैब्रिक इंडस्ट्रीज फर्म में अपने को भागीदार बताकर दिनांक 10-11-2018 को फर्म के भागीदार श्री संजय अग्रवाल और श्रीमती मीनू अग्रवाल, निवासी वर्तमान 101, आशीष एवेन्यू, आर-8, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश (पूर्व पता 17 मंगल नगर, सुखलिया, इंदौर) का फर्म से त्यागपत्र व स्वेच्छा से पृथक होकर आज दिनांक को फर्म के भागीदार न होने और अपूर्व भिते व् दीपि भिते, निवासी-मकान न. 350, सेक्टर बी. स्कीम न. 71, इंदौर के नए भागीदार के रूप में फर्म में शामिल होने की सूचना पूर्णतः भग्मक होकर असत्य तथ्यों पर आधारित है. उल्लेखित दिनांक 10-11-2018 को श्री संजय अग्रवाल और श्रीमती मीनू अग्रवाल द्वारा स्वेच्छा से कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया और जालसाजी कर उन्हें फर्म से हटाकर जबरन कब्जा कर लिया गया है तथा उक्त व्यवहार में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और विधि के सर्वमान्य सिधान्तों का पालन नहीं किया गया है. उक्त धोखाधड़ी और जालसाजी के विषय में थाना कनाडिया, इंदौर मध्यप्रदेश में एफ. आई. आर. क्र. 0598 दि. 31-11-2019 दर्ज होकर अनुसंधान में है तथा फर्मस एवम् सोसाइटीज में आज दिनांक को भी श्री संजय अग्रवाल और श्रीमती मीनू अग्रवाल का नाम फर्म मैसर्स जे एंड ए इको फैब्रिक इंडस्ट्रीज (पंजीयन क्र. 03/27/01/0195/15) में भागीदारों के रूप में दर्ज है.

द्वारा-मैसर्स जे एंड ए इको फैब्रिक इंडस्ट्रीज
संजय अग्रवाल,
(पार्टनर).

(1165-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माँ शारदा कांस्ट्रक्शन क., पता-ग्राम पोस्ट सुरसा, जिला रीवा का फर्म पंजीयन क्र. 05/22/03/00023/09 है. यह कि फर्म की द्वितीय भागीदारी विलेखानुसार पार्टनर नं. 02 श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी S/o श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, उम्र 38 वर्ष, निवासी 12/194 अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे खुटेही, रीवा अपनी स्वेच्छा से दिनांक 08-06-2012 से फर्म की भागीदारी से पृथक हो रहे हैं और पार्टनर नं. 02 श्रीमती सविता मिश्रा W/o श्री राजीव मिश्रा, निवासी ग्राम व पोस्ट सुरसा, जिला रीवा भागीदार के रूप में दिनांक 08-06-2012 से सम्मिलित हुये हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो यह प्रकाशन दिनांक के साथ दिवस के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करें.

मैसर्स माँ शारदा कांस्ट्रक्शन कम्पनी,
राजीव कुमार मिश्रा,
(पार्टनर).

(1166-बी.)

ग्राम व पोस्ट सुरसा, जिला रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माँ शारदा कांस्ट्रक्शन, पता-ग्राम पोस्ट सुरसा, जिला रीवा का फर्म पंजीयन क्र. 05/22/04/00100/08 है. फर्म की द्वितीय भागीदारी विलेखानुसार फर्म का नाम मैसर्स माँ शारदा कांस्ट्रक्शन से बदलकर मै. माँ शारदा स्टोन क्रेसर किया गया है तथा फर्म के पार्टनर क्र. 01 श्री प्रेमनारायण मिश्रा तनय श्री छोटे लाल मिश्रा, निवासी ग्राम व पोस्ट जनकहाई, जिला रीवा

अपनी स्वेच्छा से दिनांक 04-02-2020 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं तथा श्री दिनेश कुमार मिश्रा पिता श्री रामानुज मिश्रा, निवासी ग्राम देरवा, पोस्ट अरवा, जिला रीवा फर्म दिनांक 04-02-2020 से शामिल हो रहे हैं। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो यह प्रकाशन दिनांक के साथ दिवस के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करें।

मैसर्स माँ शारदा कान्स्ट्रशन कम्पनी,
राजीव कुमार मिश्रा,
(पार्टनर).

(1166-A-बी.)

ग्राम व पोस्ट सुरसा, जिला रीवा (म.प्र.).

विविध निविदा सूचनाएं

वानिकी वर्ष 2019-20 में छिन्दवाड़ा वनवृत्त के विभिन्न वनमण्डलों में विभागीय उपयोग हेतु भण्डार/नाशवान/स्टेशनरी एवं फर्म पंजी के क्रय हेतु इच्छुक फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आर्पत्रित की जाती हैं।

निविदा फार्म/शर्तें व सामग्री का विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस/समय में 200/- (दो सौ रुपये मात्र) नगद जमा करने पर दिनांक 19-02-2020 को सायं 05.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदाकार को निविदा के साथ रुपये 5000/- (पांच हजार रु. मात्र) की अमात राशि किसी भी अधिसूचित बैंक का ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो वनमण्डलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल के नाम से छिन्दवाड़ा स्थित बैंक में देय हो, जमा करना होगा।

निविदा फार्म प्रत्येक सामग्री के लिये अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना है। सभी दृष्टि से पूर्ण निविदा, मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 20-02-2020 को दोपहर 02.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है एवं कुल प्राप्त निविदायें दिनांक 20-02-2020 को दोपहर 03.00 बजे उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जावेगी।

स्वीकृत निविदा दरें दिनांक 30-06-2020 तक प्रभावशील रहेंगी।

विस्तृत विवरण कार्यालय दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल में कार्यालयीन समय में हमारी बेवसाईट www.mpforest.gov.in में देखा जा सकता है। निविदाकार निविदा प्रस्तुत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सामग्री का नाम एवं क्रय हेतु दी जाने वाली दरों का स्पष्ट उल्लेख करें।

टीप:-उक्त नियत तिथि को निविदा प्राप्त न होने अथवा स्वीकृत न होने की स्थिति में आगामी निविदा तिथि निम्नानुसार होगी:-

क्र.	आगामी निविदा दिनांक	निविदा फार्म वितरण करने का दिनांक/समय	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक/समय	निविदा खोलने का दिनांक/समय
1.	28-02-2020	22-02-2020 से 28-02-2020 तक (कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 3.00 बजे तक).	28-02-2020 को समय अपराह्न 3.30 बजे तक	28-02-2020 को समय 04.00 बजे।
2.	06-03-2020	29-02-2020 से 06-03-2020 तक (कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 3.00 बजे तक).	06-03-2020 को समय अपराह्न 03.30 बजे तक	06-03-2020 को समय 04.00 बजे।

साहिल गर्ग,
वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण छिन्दवाड़ा सा. वनमण्डल.

(248)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

प्र.क्र.0754/बी-121/2019-20.

(प्रारूप-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5(1) के अंतर्गत]

चूकि आवेदक श्री प्रकाश अग्रवाल पिता स्व. देवी प्रसाद अग्रवाल अध्यक्ष, निवासी रघुनाथ गंज कटनी, तहसील कटनी, जिला कटनी द्वारा अग्रवाल समाज बीसा ट्रस्ट कटनी मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	अग्रवाल समाज बीसा ट्रस्ट कटनी मध्यप्रदेश
पता	:	ग्राम कटनी, तहसील कटनी, जिला कटनी
चल संपत्ति	:	वर्ग बी में दर्ज सम्पत्ति में स्थित चल सम्पत्ति कीमती 1,00,000/- (अंकन एक लाख रुपये)।
अचल संपत्ति	:	ग्राम खिरहनी कटनी का खसरा नंबर 1331/4, 1331/5, एवं 1333/3 एवं 1333/4 कुल रकवा-0.931 हे. है। नगर निगम कटनी में दर्ज भवन संख्या क्रमांक-178, गुरुनानक वार्ड, कटनी।
सदस्यगणों के नाम	:	1 प्रकाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. देवी प्रसाद अग्रवाल (अध्यक्ष), निवासी रघुनाथ गंज कटनी, 2. राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल पुत्र बन्दीप्रसाद अग्रवाल रबर फैक्ट्री रोड, कटनी सदस्य (आय व्यय निरीक्षक), 3. मर्यंक अग्रवाल पुत्र विजय कुमार अग्रवाल बल्लभ भवन मध्दई मंदिर रोड, कटनी सदस्य, 4. सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री केदार प्रसाद अग्रवाल सिविल लाईन कटनी (उपाध्यक्ष), 5. पवन मित्तल पिता स्व. श्री सी. आर. मित्तल, हाउसिंह बोर्ड कॉलोनी (उपाध्यक्ष) 6. मोहन कुमार अग्रवाल वल्द स्व. देवी प्रसाद अग्रवाल, रघुनाथगंज कटनी (मंत्री), 7. मुरली मनोहर अग्रवाल वल्द स्व. देवी प्रसाद अग्रवाल (सचिव), निवासी रघुनाथगंज, कटनी।

- (iv) न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति ट्रस्ट के संविधान अनुसार।
- (v) न्याय सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (प्रतिलिपियां संलग्न कीजिये)
 - अ. वर्तमान खसरा भूमि खिरहनी, कटनी।
 - ब. अग्रवाल समाज भवन हीरागंज, कटनी।
- (vi) न्यास के संबंध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे (प्रतिलिपियां संलग्न कीजिये) संलग्न-8 किता।
- (vii) चल सम्पत्ति ऐसी सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग के प्राक्कलित मूल्य के साथ।
वर्ग बी में दर्ज सम्पत्ति में स्थित चल सम्पत्ति कीमती 1,00,000/- (अंकन एक लाख रुपये)।
- (viii) (क) चल सम्पत्ति के ब्यौरे ग्राम या कस्बा जहां यह अवस्थित है, दर्शित करते हुए नगर पालिका या भूमि खा खसरा क्रमांक निर्धारण और अवधि के विवरण समेत जिस पर धारित हो (सम्पत्तियों के संबंध में अधिकार या नगर पालिका अभिलेख की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपियों संलग्न कीजिये)।
 - 1. ग्राम खिरहनी कटनी का ख. नं. 1331/4, 1331/5, 1333/3, 1333/4 कुल रकवा 0.93 हे. संलग्न है।
 - 2. नगर निगम कटनी में दर्ज भवन संख्या क्रमांक 178 गुरुनानक वार्ड कटनी
 - (ख) विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा संलग्न प्रत्येक अचल सम्पत्ति का प्राक्कलित मूल्य श्रीमान कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा निर्धारित गाईड लाईन अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन।
 - 1. ग्राम खिरहनी कटनी का ख. नं. 1331/4, 1331/5, 1333/3, 1333/4 कुल रकवा 0.931 हे. कुल मूल्यांकन 75,33,200/- रुपये।
 - 2. नगर निगम कटनी में दर्ज भवन संख्या क्रमांक 178 गुरुनानक वार्ड, कटनी कुल मूल्यांकन 3,84,54,837/- रुपये।
- (ix) न्यास की आय के श्रोत-
 - 1. नियमावली संलग्न
 - 2. दान से सदस्यता शुल्क से
- (x) औसत सकल वार्षिक व्यय 5,00,000/- (अंकन पॉच लाख रुपया वार्षिक)।
 - (क) न्यासियों और प्रबंधक के पारिश्रमिक पर नहीं।

- (ख) स्थापना और कर्मचारीवृन्द पर 60,000/- (अंकन साठ हजार रुपये वार्षिक).
- (ग) धार्मिक उद्देश्यों पर 2,00,000/- (अंकन दो लाख रुपये वार्षिक).
- (घ) पूर्त उद्देश्यों पर 2,00,000/- (अंकन दो लाख रुपये वार्षिक).
- (ड.) विविध मदों पर 40,000/- (अंकन चालीस हजार रुपये).
- (xii) न्यास सम्पत्ति के विलंगम के ब्यौरे यदि कोई हो,
- ग्राम खिरहनी कटनी का ख. नं. 1331/4, 1331/5, 1333/3, 1333/4 कुल रकवा 0.931 हे. संलग्न है.
- (xiii) नगर निगम कटनी में दर्ज भवन संख्या क्रमांक 178 गुरुनानक वार्ड कटनी न्यासियों का नाम वर्तमान सर्वराहकार एवं अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, उम्र 67 वर्ष पुत्र स्व. देवी प्रसाद अग्रवाल, निवासी रघुनाथगंज, कटनी.
- (xiv) वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट 5,00,000/- (अंकन पाँच लाख रुपये).
- (xv) टिप्पणी यदि कोई हो तो नहीं है.
3. 500/- रुपये शुल्क संलग्न है.

14,75,576/- दिनांक 19-07-2019

4. न्यासी अथवा प्रबंधक को न्यास के संबंध में कोई भी संसूचना निम्नानुसार पते पर भेजी जा सकती है।
नाम/पता:-अग्रवाल समाज बीसा ट्रस्ट अग्रवाल समाज भवन हीरागंज, कटनी.

आज दिनांक 11 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

बलवीर रमण

अनुविभागीय अधिकारी।

(305)

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी

प्र.क्र.0001/बी-113/2019-20.

पृथ्वीपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2020

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 नियम-5 के अंतर्गत]
लोक न्यासों के पंजीयक पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्र.	नाम	पद	पता
1.	मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेन्द्र दास देवाचार्य जी महाराज।	संरक्षक	मलूक पीठ वंशीवट वृन्दावन, मथुरा उ.प्र.
2.	श्री महंत मदनमोहन दास जी महाराज धीर समीर वृन्दावन।	संरक्षक	धीर समीर वृदावन
3.	श्रीमती रानी देवी सोनी	अध्यक्ष	जैन मंदिर के पास पृथ्वीपुर
4.	श्री रामविहारी सोनी	उपाध्यक्ष	थाने के पास पृथ्वीपुर
5.	श्री सुरेन्द्र तिवारी	सचिव	तालाब के पास नगर पंचायत कारी
6.	श्री हरीश सोनी	सहसचिव	जैन मंदिर के पीछे, पृथ्वीपुर
7.	श्री गौरीशंकर सोनी	कोषाध्यक्ष	116, बाजार गुरसराय देहात, झांसी उ.प्र.
8.	श्री राहुल कौशल	आंतरिक अंकेक्षक	रामनगर उरई, जिला जालौन।
9.	श्री महंत रामानन्ददास जी महाराज	सदस्य	मुरली मनोहर मंदिर बराना
10.	श्री महंत राघवेन्द्र दास जी महाराज	सदस्य	रामायणी कुटी हाथी दरवाजा गोवर्धन

क्र.	नाम	पद	पता
11.	श्री महंत गंगादास जी महाराज	सदस्य	श्री लक्ष्मी नर्सिंग मंदिर तालबपुरा, ललितपुर
12.	श्री महेशचंद्र कौशल	सदस्य	रामनगर उरई जालौन उ.प्र.
13.	श्री पवन गुप्ता	सदस्य	निवाड़ी रोड, पृथ्वीपुर

चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 श्री राधारानी गोविन्द मंदिर लोक न्यास, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 03-03-2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक 03-03-2020 के अंदर इस न्यायालय दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के अवसर के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	श्री श्री 1008 श्री राधारानी गोविन्द मंदिर
पता	:	लोक न्यास, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.).
अचल संपत्ति	:	मंदिर भवन क्र.75 वार्ड नं. 1 पृथ्वीपुर, कृषि भूमि ख.नं. 884/1/3 एवं 885/1 में से 1/2 हिस्सा, राधारानी गोविन्द भगवान की मूर्ति, पाषाड़ मूर्ति, अलमारी, पोशाक.
चल संपत्ति	:	मंदिर में उपयोग होने वाली पूजा आदि सामग्री रसोई के वर्तन, कूलर, पंखा,

कुशल सिंह गौतम,

(306)

रजिस्ट्रर एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग मलहारगंज, इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.645/लोन्यास/20.—आवेदक न्यासी इन्द्रपाल यादव पिता सेवाराम यादव व अन्य, निवासी बाणगंगा, इन्दौर द्वारा “तुलसी मानस धाम ट्रस्ट” कार्यालय पता-त्रिवेणीश्वर महादेव मंदिर 14, मालवा मिल कमपाउण्ड, नंदी ग्राम इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“तुलसी मानस धाम ट्रस्ट”.
कार्यालय पता-	:	त्रिवेणीश्वर महादेव मंदिर 14, मालवा मिल कमपाउण्ड, नंदी ग्राम इन्दौर.
चल-अचल सम्पत्ति	:	न्यास की निधी एवं सम्पत्ति रु. 5000/- (अक्षरी पांच हजार रु. मात्र) नगद को छोड़कर अन्य कोई निधी या चल-अचल संपत्ति नहीं है।

आज दिनांक 20 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा,
रजिस्ट्रर।

(307)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वन संरक्षक एवं पेदन वनमण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा सा. वनमण्डल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बटकाखापा द्वारा पत्र क्र. 1229, दिनांक 11-12-2019 से अवगत कराया गया है कि पूर्व चिलक बीट का हैमर श्री लखनलाल भारती, वनरक्षक द्वारा दिनांक 07-04-2019 को बीट गश्ती करते समय कहीं गिर गया। श्री लखनलाल भारती, वनरक्षक द्वारा बीट हैमर ढूढ़ने की कोशिश की गई मगर हैमर नहीं मिल पाया। तत्पश्चात उनके द्वारा दिनांक 10-04-2019 को पुलिस थाना बटकाखापा, तहसील हरई में हैमर गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई एवं परिक्षेत्र कार्यालय को दिनांक 10-04-2019 को हैमर गुम होने बावृत् सूचित किया गया। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि उक्त हैमर को अपलेखित किया जावे।

श्री लखनलाल भारती, वनरक्षक की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण बीट हैमर गुम हुआ है।

निष्कर्ष:-प्रकरण का समग्र रूपेण अध्ययन करने पर हैमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रखरखाव में लापरवाही बरतना वनरक्षक का कृत्य पाया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि:-


आदेश क्रमांक/मा.चि./2020/07

छिन्दवाड़ा, दिनांक 08/01/2020

वन वित्तीय नियम की धारा-124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित बीट हैमर को अपलेखित किया जाता है तथा श्री लखनलाल भारती, वनरक्षक बीट प्रभारी पूर्व चिलक परिक्षेत्र पश्चिम बटकाखापा से उक्त हैमर का मूल्य रुपये 510/- (पाँच सौ दस रुपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर उक्त गुमशुदा बीट हैमर शासकीय अभिलेख से अभिलेखित किया जाता है तथा श्री लखनलाल भारती, वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम थाने या वनविभाग के कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दाइडक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

बीट हैमर का चिन्ह:-



एम. एस. उद्दे,

वनसंरक्षक पदन वनमण्डलाधिकारी।

(308)

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिवनी

सिवनी, दिनांक 01 फरवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 1 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., बखारी	13/26-06-1951	178/14-02-2005
2.	तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुकलाह	81/23-01-1961	178/14-02-2005

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं, श्रीमति शिवानी ताराम, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बावद् अंतिम प्रतिवेदन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हो तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(309)

शिवानी ताराम,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 06 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2020/143.—जिले में स्थित विराट ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 27 जनवरी, 2010 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत् विराट ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 27 जनवरी, 2010 का पंजीयन निरस्त करती हूं। यह भी आदेश देती हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(310)

शहडोल, दिनांक 06 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2020/142.—जिले में स्थित किरण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, आमडीह का पंजीयन क्रमांक 1009, दिनांक 24 नवम्बर, 2001 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 25 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत् किरण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, आमडीह का पंजीयन क्रमांक 1009, दिनांक 24 नवम्बर, 2001 का पंजीयन निरस्त करती हूं। यह भी आदेश देती हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(311)

शकुन्तला ठाकुर,
उपायुक्त सहकारिता।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

वृद्धावन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 363, दिनांक 01 अक्टूबर, 1980 है, संस्था का पंजीयन जिस प्रयोजन हेतु किया गया था। संस्था द्वारा अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। संस्था वर्तमान में अकार्यशील है, जिसके तहत् अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2409, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 20 जनवरी, 2020 नियत की गई थी, उक्त दिवस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृद्धावन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 363, दिनांक 01 अक्टूबर, 1980 है। को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एस. बाल्के, अंके अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(312)

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/261.—शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 20 मार्च, 1980 है, संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1145, दिनांक 13 जुलाई, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था प्रशासक के आवेदन 05 दिसम्बर, 2019 अनुसार संस्था के सदस्य संस्था के निर्वाचन कराने में असमर्थ हैं एवं संस्था से बार-बार सम्पर्क किया संस्था कार्य नहीं करना चाहती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। जिसके तहत् अधिनियम, की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2388, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 20 मार्च, 1980 है। को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. सी. चौहान, अंके अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(313)

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/260.—सुभाष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 05 सितम्बर, 1970 है, संस्था का पंजीयन जिस प्रयोजन हेतु किया गया था। संस्था द्वारा अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। संस्था द्वारा वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। संस्था विगत 03-04 वर्षों से बंद अकार्यशील है, जिसके तहत् अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2406, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 20 जनवरी, 2020 नियत की गई थी, नियत दिनांक को संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत पत्र अनुसार संस्था का सम्पूर्ण विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुभाष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 05 सितम्बर, 1970 है। को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जोवाकिम कुजुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

मनोज कुमार गुप्ता,
उप-पंजीयक।

(314)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 31 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/95.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./690, दिनांक 10 अगस्त, 2007 से परिसमापनाधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मोहनज़िर, विकासखण्ड अमरपुर, जिला डिण्डौरी पंजीयन क्रमांक/553, दिनांक 31 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./690, दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा ज्योति प्रधान सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

ज्योति प्रधान सह. निरी. द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को परिसमापधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मोहनज़िर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, एन. के. शाक्य, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की 18-ए/क की उपधारा(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत ज्योति प्रधान सह. निरी. परिसमापक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकों अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

(315)

डिण्डौरी, दिनांक 31 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/96.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./690, दिनांक 10 अगस्त, 2007 से परिसमापनाधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., सुरखी, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी पंजीयन क्रमांक/559, दिनांक 31 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./690, दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा ज्योति प्रधान सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

ज्योति प्रधान, परिसमापक/सह. निरी. द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को परिसमापधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., सुरखी के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, एन. के. शाक्य, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की 18-ए/क की उपधारा(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत ज्योति प्रधान सह. निरी. परिसमापक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकों अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

(316)

डिण्डौरी, दिनांक 31 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/97.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./687, दिनांक 10 अगस्त, 2007 से परिसमापनाधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., ग्वारा, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी पंजीयन क्रमांक/550, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./687, दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा ज्योति प्रधान सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

ज्योति प्रधान सह. निरी. द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को परिसमापनाधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., ग्वारा के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, एन. के. शाक्य, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की 18-ए/क की उपधारा(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत ज्योति प्रधान सह. निरी. परिसमापक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकों अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317)

डिण्डौरी, दिनांक 31 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/98.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./687, दिनांक 10 अगस्त, 2007 से परिसमापनाधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., जिमरा, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी पंजीयन क्रमांक/564, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./125, दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 द्वारा श्री ध्रुव कुमार झारिया, अंकेक्षक अधिकारी को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ध्रुव कुमार झारिया, अंकेक्षक अधिकारी द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को परिसमापनाधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., शहपुरा के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, एन. के. शाक्य, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की 18-ए/क की उपधारा(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के अंतर्गत श्री ध्रुव कुमार झारिया, अंकेक्षक अधिकारी को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकों अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी किया गया.

(318)

डिण्डौरी, दिनांक 31 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/99.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./687, दिनांक 10 अगस्त, 2007 से परिसमापनाधीन प्राथमिक खनिज सहकारी समिति मर्या., शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी पंजीयन क्रमांक/694, दिनांक 17 अप्रैल, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./125, दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 द्वारा श्री ध्रुव कुमार झारिया, अंकेक्षक अधिकारी को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ध्रुव कुमार झारिया, अंकेक्षक अधिकारी द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को परिसमापनाधीन प्राथमिक खनिज सहकारी समिति मर्या., शहपुरा के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, एन. के. शाक्य, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की 18-ए/क की उपधारा(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत श्री धूव कुमार झारिया, अंकेक्षक अधिकारी को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकों अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

एन. के. शाक्य,
सहायक रजिस्ट्रार।

(319)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/95.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2009/515, बुरहानपुर, दिनांक 28 मई, 2009 के द्वारा शारदा ऑफसेट मुद्रण उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. जूनागढ़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(320)

बुरहानपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/96.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2016/385, बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा सालासर पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 30 मार्च, 2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. जूनागढ़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक।

(321)

**कार्यालय परिसमापक रॉयल क्लॉथ मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड फोपनार
तहसील एवं जिला बुरहानपुर**

दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/01.—रॉयल क्लॉथ मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड फोपनार, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 116, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/विधि/2017/931, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह (60 दिवस) के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार एवं देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह (60 दिवस) की अवधि में किसी दावेदार (लेनदार एवं देनदार) ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

चन्द्रेश पटेल,

(322)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय परिसमापक पुष्प पावरलुम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

पं.क्र.70/05/09/2014.दिनांक 20-04-2007.

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/01.—पुष्प पावरलुम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर है, को उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/920, बुरहानपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/920, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम क्रमांक 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह (60 दिवस) की समयावधि में मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बुरहानपुर के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह (60 दिवस) की समयावधि में किसी दावेदार लेनदार/देनदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व समेत मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(323)

कार्यालय परिसमापक रीगल पावरलुम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

पं.क्र.72/05/09/2014.

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/02.—रीगल पावरलुम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर है, को उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/918, बुरहानपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/918, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम क्रमांक 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह (60 दिवस) की समयावधि में मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बुरहानपुर के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह (60 दिवस) की समयावधि में किसी दावेदार लेनदार/देनदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व समेत मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(324)

कार्यालय परिसमापक सम्मति पावरलूम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

पंक्र.73/05/09/2014.

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/03.—सम्मति पावरलूम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर है, को उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/917, बुरहानपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/917, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम क्रमांक 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह (60 दिवस) की समयावधि में मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बुरहानपुर के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह (60 दिवस) की समयावधि में किसी दावेदार लेनदार/देनदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व समेत मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(325)

कार्यालय परिसमापक पवन पावरलूम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

पंक्र.75/05/09/2014.

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/04.—पवन पावरलूम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर है, को उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/916, बुरहानपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/916, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम क्रमांक 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह (60 दिवस) की समयावधि में मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बुरहानपुर के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह (60 दिवस) की समयावधि में किसी दावेदार लेनदार/देनदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व समेत मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(326)

कार्यालय परिसमापक अमन पावरलूम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

पंक्र.76/05/09/2014.

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/05.—अमन पावरलूम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर है,

को उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/915, बुरहानपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/915, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम क्रमांक 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह (60 दिवस) की समयावधि में मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बुरहानपुर के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह (60 दिवस) की समयावधि में किसी दावेदार लेनदार/देनदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उक्सा दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लोखबद्ध समस्त दायित्व समेत मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(327)

कार्यालय परिसमापक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., नावरा, जिला बुरहानपुर

पं.क्र.2133/09/06/2009.

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर है, को उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/267, बुरहानपुर, दिनांक 29 जून, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/267, दिनांक 29 जून, 2013 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम क्रमांक 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह (60 दिवस) की समयावधि में मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बुरहानपुर के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह (60 दिवस) की समयावधि में किसी दावेदार लेनदार/देनदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उक्सा दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लोखबद्ध समस्त दायित्व समेत मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(328)

कार्यालय परिसमापक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., भावसा, जिला बुरहानपुर

पं.क्र.2134/09/06/2009.

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., भावसा, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर है, को उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/266, बुरहानपुर, दिनांक 29 जून, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/266, दिनांक 29 जून, 2013 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम क्रमांक 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह (60 दिवस) की समयावधि में मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, बुरहानपुर के कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह (60 दिवस) की समयावधि में किसी दावेदार लेनदार/देनदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उक्सा दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लोखबद्ध समस्त दायित्व समेत मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(329)

सौ. एस. जूनागढ़े,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 10 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र. 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा मुझे दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुधरसी, तहसील घटटीया, जिला उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 468/25-08-1980) का परिसमापक नियुक्त किया है।

अतः मैं, एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एस. के. मालवीय,

(330)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 27 जनवरी, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

माँ मैकल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह

पंजीयन क्रमांक 2294, दिनांक 28 फरवरी, 2019

पता-गोपालपुरा, पत्ती बाजार बड़वाह,

तहसील व पोस्ट बड़वाह, जिला खरगोन।

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक।

श्री सचिन पिता राजेन्द्र वर्मा,

गोपालपुरा, पत्ती बाजार, बड़वाह।

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था के परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था ने गठन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं करवाया है।

2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं हैं। अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रहीं हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-

i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो.

ii. प्रथम दृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं।

(331)

खरगोन, दिनांक 30 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कालम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 30 नवम्बर, 2019 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ।

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.	परिसमापक का नाम /दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	किसान फसल सुरक्षा सह. संस्था मर्या., गोगांवा	गोगांवा	1511/20-04-2007	793/10-08-2017	श्री राधेश्याम चौहान, उप. अंकेक्षक।
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., लेपा	कसरावद	1944/14-03-2014	1184/17-07-2019	श्री राधेश्याम चौहान, उप. अंकेक्षक।
3.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कठोरा	कसरावद	1658/11-07-2012	1243/25-07-2019	श्री राधेश्याम चौहान, उप. अंकेक्षक।
4.	रूपलालिंगी मत्स्य सह. संस्था मर्या., मोहन्या।	महेश्वर	1386/08-07-2004	2019/25-07-2019	श्री एस. आर. सोलंकी, वरि. सहकारी निरीक्षक।
5.	रानी दुर्गावती मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., भिकनगांव	भिकनगांव	1496/27-11-1996	761/18-06-2014	नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक।

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक।

(332)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 01 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1)सी/ग के अंतर्गत)

क्र./परि/2020/क्यू/01:- कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार सहकारी संस्थाओं को परिसमापक में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन में लाने का
		क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करही (भगवानपुरा)	1499/28-06-2003	714/01-06-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामन्यापानी	1500/12-03-2007	714/01-06-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबला	1520/15-06-2007	714/01-06-2016
4.	वैष्णवी प्राथमिक उप.सह.भंडार मर्या., मण्डलेश्वर	1513/05-05-2007	1073/27-08-2016
5.	बालाजी प्राथमिक उप.सह.भंडार मर्या., मण्डलेश्वर	1676/05-12-2012	1073/27-08-2016
6.	मां गायत्री महिला साख सह.संस्था मर्या., खरगोन	72/20-04-2005	777/03-07-2015
7.	व्यापारी साख सह. संस्था मर्या., खरगोन	13/11-11-2002	777/03-07-2015

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60) दिवस के अंदर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अंदर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(333)

खरगोन, दिनांक 01 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1)सी/ग के अंतर्गत)

क्रमांक/परि/2020/क्यू/1:- कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन में लाने का
		क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	साईं बालाजी बीज उत्पादक सह.संस्था मर्या., मण्डलेश्वर (खरगोन)	1672/26-11-2012	1073/27-08-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला (खरगोन)	1345/28-06-2003	777/03-07-2015

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60) दिवस के अंदर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अंदर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई है।

(334)

कैलाश वास्कले,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 27 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराजखेड़ी	2165/31-03-2017	1209/19-07-2019
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोदिया	1636/01-03-2012	1186/17-07-2019
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगाँव	1659/11-07-2012	1185/17-07-2019
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवला	1635/29-03-2012	1187/17-07-2019
5.	नर्मदा बीज उत्पादक सह.संस्था मर्या., बालसमुद	1695/10-01-2014	1218/19-07-2019
6.	बुनकर सह.समिति मर्या., बामंदी (कसरावद)	169/01-09-1964	197/13-01-1977

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60) दिवस के अंदर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अंदर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 27 जनवरी, 2020 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई है।

एच. सी. यादव,

परिसमापक एवं उप-अंकेश्वक.

(335)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रत्लाम

रत्लाम, दिनांक 03 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/285.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/286, रत्लाम, दिनांक 03 फरवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कंसेर, जिला रत्लाम पंजीयन क्रमांक/951, दिनांक 29 मार्च, 2014 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री वी. के. गोसाई, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, रत्लाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कंसेर, जिला रत्लाम पंजीयन क्रमांक/951, दिनांक 29 मार्च, 2014 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(336)

रत्नाम, दिनांक 03 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/288.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/274, रत्नाम, दिनांक 03 फरवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मचून, जिला रत्नाम पंजीयन क्रमांक/632, दिनांक 30 जून, 1994 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री वी. के. गोसाई, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रत्नाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मचून, जिला रत्नाम पंजीयन क्रमांक/632, दिनांक 30 जून, 1994 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(337)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/289.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1456, रत्नाम, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापित सुरभि प्रजापति ईंट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बिबडोद, जिला रत्नाम पंजीयन क्रमांक/773, दिनांक 14 जनवरी, 2002 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री जे.सी. जौनवाल, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रत्नाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित सुरभि प्रजापति ईंट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बिबडोद, जिला रत्नाम पंजीयन क्रमांक/773, दिनांक 14 जनवरी, 2002 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

परमानन्द गोडरिया,

उप-रजिस्ट्रार.

(338)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला नरसिंहपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर के आदेशानुसार निम्नानुसार समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम सहकारी समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., आडेंगॉव	155/30-10-1963	208/04-05-1991
2.	सीता रेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गांगई	732/30-06-2014	163/05-02-2014

1	2	3	4
3.	रेवा श्री बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भुतखेडा	731/30-06-2014	165/05-02-2014
4.	शिवम बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., घुटंगे	681/30-06-2014	169/05-02-2014
5.	आदर्श बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खुर्शिपार	701/30-06-2014	171/05-02-2014
6.	मॉ अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बम्होरीकला	714/30-06-2014	928/22-07-2014
7.	विवेकानंद बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मेहरागांव	705/30-06-2014	928/22-07-2014
8.	मॉ रेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पनारी	721/30-06-2014	1485/24-08-2018
9.	बीजासेन वारदाना उद्योग सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा	593/19-01-2006	759/13-04-2017
10.	यूनाइटेड साख सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा	762/30-06-2014	760/13-04-2017

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के नियम 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि प्रकाशन अवधि से दो माह के अंदर मय प्रमाण के दावा यदि हो तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो निर्धारित समय के पश्चात उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

अतः उपरोक्त सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एस. एस. भाटी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(339)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 10 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालाहेडी	1113/11-11-2014	673/24-04-2018
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डापिन्देनिया	1207/11-06-2015	673/24-04-2018
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांजा	1205/10-06-2015	673/24-04-2018
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीरखेडी	1169/19-12-2014	673/24-04-2018
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडापहाड	1164/15-12-2014	673/24-04-2018
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छायन	1161/15-12-2014	673/24-04-2018
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरवाल	180/17-11-1980	673/24-04-2018

अतः मैं, मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मनोज पुरोहित,
परिसमापक एवं स. नि.

(340)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

दिनांक, 26 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2020/850, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक. नवरंगपुर	780/03-09-1980	850/04-09-2015
2.	डाक कर्मचारी गृह.नि. सीहोर	/19-12-1984	850/04-09-2015

अतः मैं, एन. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी, सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एन. के. गुप्ता,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

(341)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

दिनांक, 02 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2016/403, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पा. सह.समिति मर्या., हाहयाखेड़ी	1764/28-03-2014	403/22-04-2016
2.	दुग्ध उत्पा. सह.समिति मर्या., बोड़ी	1765/28-03-2014	403/22-04-2016
3.	दुग्ध उत्पा. सह.समिति मर्या., बोरखेड़ाखुर्द	1792/18-09-2014	403/22-04-2016

अतः मैं, उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी, सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(342)

दिनांक, 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2015/1176, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 द्वारा निम्न

सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., सोंठी	1396/01-04-2008	1176/16-12-2015

अतः मैं, उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्था का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(343)

दिनांक, 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2015/731, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	कृषक विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (शायामपुर)	1559/16-09-2011	731/04-08-2015

अतः मैं, उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

U.K. Mishra ,

सहकारी निरीक्षक.

(344)



मैथिप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020-फालुन 9, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

कार्यालय आयुक्त, भू-आधिकारी एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

- मोसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019
- मोसम एवं वर्षा:-प्रयः: राज्य में मोसम शुष्क रहा. किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
 - प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
 - बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
 - धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
 - खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव नहीं।
 - कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
 - अन्य असामयक घटना से छति :- कोई छति नहीं।
 - फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
 - सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी मूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है।
 - पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
 - चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
 - बीजः- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
 - खेतिहार श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहार श्रमिक उचित रार पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
 - जिला बिण्ड से पत्रक अप्राप्त है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बधावार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8					9			10	
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा	..	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना राइसरसों	अधिक कम	.. कम	सामान्य सामान्य सामान्य	5. पर्याप्त. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
25.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर	..	बोनी चालू	5. पर्याप्त. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.		
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर बड़ौदिया गुलाना	गेहूँ चना राइसरसों	अधिक कम	20% 25%	समान सामान्य	5. पर्याप्त. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
27.	देवास :	सोनकच्छ टॉकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	17.0	जुताई चालू	गेहूँ मसूर चना मटर राइसरसों अन्य	कम कम कम कम कम कम	15% .. 10% 25%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5. .. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
28.	झाबुआ :	थांदला मेघनगर पेटलावद झाबुआ राणापुर रामा	बोनी चालू	गेहूँ चना कपास	सामान्य सामान्य	समान सामान्य	5. अपर्याप्त. 6.(अ) पर्याप्त,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. . .			
29.	अलीराजपुर :	जोवट अलीराजपुर कटटीवाडा सोंडवा उदयगढ़ चन्द्रशेखर आ. नगर भामरा	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना	अधिक 5%	सामान्य	5.	6.(अ) पर्याप्त, 6.(ब) अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.				
30.	धार :	बदनावर सरदारपुर धार कुक्सी मनावर धरमपुरी गंधवानी डही पीथमपुर	जुताई चालू बोनी चालू	कपास	अधिक 5%	समान	5.	6.(अ) पर्याप्त, 6.(ब) अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.				
31.	इन्दौर :	देपालपुर सांवर इन्दौर गौतमपुरा महू (अम्बे.)	जुताई चालू	गना गेहूँ चना	अधिक 20%	बिगड़ी सुधरी हुई	5.	6.(अ) पर्याप्त, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.				

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8					9			10	
32.	खरगौन :	बड़वाह महेश्वर सेगांव खरगौन गोगावां कसरावद भगवानपुरा भीकनगांव सनावद झिरन्या	कपास तुअर गेहूँ चना	अधिक कम अधिक	समान समान सामान्य	5. पर्याप्त. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
33.	बड़वानी :	बड़वानी ठीकरी राजपुर सेंधवा पानसेमल पाटी अंजड बरला निवाली	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना	अधिक अधिक समान	10% 25% 20%	समान समान सामान्य	5. .. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
34.	खण्डवा :	खण्डवा पुनासा खालवा पंधाना हरसूद	12.0 .. 0.0 .. 12.0 .. 0.0 .. 4.0	गेहूँ चना	कम कम	2% 2%	5. पर्याप्त. 6.(अ)पर्याप्त,	6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.		
35.	बुरहानपुर :	बुरहानपुर खकनार नेपानगर	0.0 .. 5.3 .. 2.0 ..	जुताई चालू बोनी चालू	कपास तुअर	5% 5%	सुधरी हुई सुधरी हुई	10% 10%	5. .. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
51. बालाघाट :		बालाघाट	धान	समान	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		लाँजी	0.0	
		किरनापुर	0.0	
		बैहर	0.0	
		वारासिवनी	0.0	
		कटंगी	0.0	
		लालबरा	0.0	
		तिरोडी	0.0	
		परसवाड़ा	0.0	
		बिरसा	0.0	
		खैरलाँजी	0.0	

*जिला भिण्ड से पत्रक अप्राप्त है.

(247)

बी. बी. अग्निहोत्री,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.